न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/21

देवलाल आयु बालिग आत्मज कालू लाल जाति काछी निवासी बक्शपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. रामी बाई बालिग पुत्री कालू पत्नी कान्हा जाति काछी निवासी तितरवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 15.05.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि वादी ने एक विभाजन का वाद ग्राम बक्शपुरा की आराजी के बाबत् उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के न्यायालय में पेश किया था जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ और राजीनामा के अनुसार भूमि का विभाजन हुआ । राजीनामा के अनुसार खसरा नम्बर 43 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा भूमि वादी के विभाजन में रखी गई थी और इसी के अनुसार राजीनामा हुआ था । पक्षकारों ने राजीनामे के अनुसार वाद को डिक्री करने के लिए निवेदन किया था । राजीनामे के अनुसार उपखण्ड अधिकारी ने दावा डिक्री किया था । दिनांक 04.05.1976 को डिक्री बनायी गई थी । डिक्री में वादी के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 101, 127, 121 खसरा नम्बर 43 की भूमि दी गई थी । डिक्री में मात्र अंकित किया गया कि खसरा नम्बर 43 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा भूमि रामी बाई को दान हो चुकी है । वादी देवलाल कानूनी रूप से खसरा नम्बर 101, 127, 121 व 43 का खातेदार है और खातेदार के रूप में वादी का कब्जा है । राजस्व रिकॉर्ड में बिना किसी आधार के तहसीलदार बून्दी ने आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा प्रतिवादी रामी बाई का नाम खातेदार के रूप में अंकित कर दिया

जबकि कानूनी रूप से वादी उक्त भूमि खसरा नम्बर 43 का खातेदार है । रामीबाई ने किसी भी अधिकारी के समक्ष खाते में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन पेश नहीं किया था । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त करवाकर उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज करावे ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा ग्राम बक्शपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी की भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खाते इन्द्राज के रूप में अंकित फरमाया जावे प्रतिवादी रामी बाई का नाम खाते से विलोपित किया जावे । प्रतिवादी रामी बाई को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि खसरा नम्बर 43 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा को बेचान नहीं करे । वादी के कब्जे में कोई दखलन्दाजी नहीं करे तथा वादी को उक्त भूमि सें बेदखल नहीं करे।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 14.06.2016 के द्वारा वाद वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में बिना किसी अधिकार के तहसीलदार बून्दी ने आराजी खसरा नम्बर 43 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा प्रतिवादी रामी बाई का नाम खातेदार के रूप में अंकित कर दिया जबकि कानूनी रूप से अपीलान्ट ही उक्त भूमि का खातेदार है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त है । उक्त भूमि पर रामी बाई का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय में तारीख दिनांक 20.07.2016 नियत की हुई है । इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तारीख पेशी से पूर्व ही इसे लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का दावा पेश किया था जिसमें अपीलान्ट 1/3 हिस्से का खातेदार है । पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ था राजीनामा के अनुसार खसरा नम्बर 43 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा अपीलान्ट को विभाजन में दी गई थी और इस राजीनामे के अनुसार उपखण्ड अधिकारी ने दावा डिक्री किया था । दिनांक 04.05.1976 को डिक्री बनायी गई थी । डिक्री में यह अंकित किया गया कि खसरा नम्बर 43 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा रामीबाई को दान हो चुकी है । रामीबाई के द्वारा कोई दावा पेश नहीं किया गया और न ही कोई अपना क्लेम पेश किया था । रामीबाई को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अपीलान्ट काननून खसरा नम्बर 101, 127, 121 एवं 43 के खातेदार हैं और काबिज हैं । ऐसी स्थिति में रामीबाई का नाम विलोपित किया जाना आवश्यक था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है । राजीनामा के आधार पर ही

प्रकरण का निस्तारण होना चाहिए था । अपीलान्ट गॉव का व्यक्ति है कानून की बारीकियों को नहीं समझता है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । आदेशिका में अपीलान्ट की उपस्थिति दर्ज की गई है वह पूर्ण असत्य है । आदेश 20 नियम 05 सीपीसी की अवहेलना की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेसजूडीकेटा से बाधित माना है जबकि पक्षकार समान नहीं हैं । पूर्व दावे में रामीबाई पक्षकार नहीं थी । अचल सम्पत्ति का अन्तरण किसी विधिक दस्तावेज से ही हो सकता है । कोई दानपत्र रामीबाई के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017 (1) पेज 461, आरआरटी 2014 (1) (एससी) पेज 228, डीएनजे 2018 (1) पेज 53, डीएनजे 2016 (1) पेज 155, डीएनजे 2018 (1) राज0 पेज 114, आरआरडी 2014 पेज 213 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पूर्व में जो निर्णय पारित किया गया है वो राजीनामा के आधार पर पारित किया गया था । सन् 1976 में निर्णय राजीनामा के आधार पर पारित किया गया था और उसी न्यायालय में पूर्व में पारित निर्णय के खिलाफ नया दावा पेश किया गया है जिसका श्रवणाधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था । यदि पूर्व में पारित निर्णय से अपीलान्ट वादी को कोई अप्रसन्नता थी तो वे अपीलीय न्यायालय में कार्यवाही कर सकते थे अथवा अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर सकते थे । पत्रावली न्याय आपके द्वार में पेश की गई है जिसमें वादी मय अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं और प्रतिवादी भी उपस्थित हुए हैं । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के विपरीत कथन करने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें यह अंकित किया गया है कि पूर्व में पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे के आधार पर दिनांक 04.05.1976 को डिक्री पारित की गई थी और इस डिक्री में रामी बाई को गलत रूप से खसरा नम्बर 43 की 07 बीघा 06 बिस्वा आराजी दी गई है । अतः इस आराजी का उन्हें खातेदार घोषित किया जावे । वादी के द्वारा पेश किये गये दावे का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पूर्व में पक्षकारों के मध्य एक दावा चला था जिसमें राजीनामे के आधार पर परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 04.05.1976 को डिक्री जारी की गई थी । वादी का यह कथन है कि राजीनामे के आधार पर पारित इस डिक्री में रामीबाई को गलत रूप से खसरा नम्बर 43 रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा आराजी का खातेदार घोषित किया गया है । इस आधार पर उन्होंने यह नया दावा पेश किया है । इस क्रम में हमारा मत है कि पूर्व में राजीनामे के आधार पर जो निर्णय हुआ है उससे यदि अपीलान्ट वादी को कोई अप्रसन्नता थी तो वे उक्त निर्णय के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील अथवा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर सकते थे परन्तु पूर्व में राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री में कोई त्रुटि बताते हुए नया दावा पेश नहीं किया जा सकता । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरडी 2014 पेज 238 से हम सहमत हैं कि घोषणा के दावे के लिए कोई मियाद नहीं होती है परन्तु इस प्रकरण में पूर्व में राजीनामे के आधार पर जो डिक्री पारित की गई है उस डिक्री के विरूद्ध पुनः घोषणा का

दावा पेश नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.06.2016 के अनुसार वादी मय अधिवक्ता उपस्थित हैं । अपीलान्ट के विद्धान् अभिभाषक का कथन है कि वादी व उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए थे । आदेशिका के अनुसार वादी मय अभिभाषक उपस्थित हुए हैं जिसके साथ सही होने की आवधारणा होती है । न्यायालय की आदेशिका को यदि अपीलान्ट सही नहीं मानते हैं तो उन्हें परीक्षण न्यायालय के समक्ष आपत्ति पेश करनी चाहिए ।

10. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट को यदि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजीनामे के आधार पर पारित डिक्री दिनांक 04.05.1976 से कोई अप्रसन्नता है तो उसके खिलाफ सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

12. निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.5.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

पील संख्या : 17/21

देवलाल आयु बालिग आत्मज कालू लाल जाति काछी निवासी बक्शपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामी बाई बालिग पुत्री कालू पत्नी कान्हा जाति काछी निवासी तितरवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

द संख्याः 55/दावा/2015

देवलाल आयु बालिग आत्मज कालू लाल जाति काछी निवासी बक्शपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. रामी बाई बालिग पुत्री कालू पत्नी कान्हा जाति काछी निवासी तितरवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

——*प्रतिवादी*

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.06.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 15.05.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री प्रकाश चन्द भण्डारी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री लीलाधर सिंह के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 बहाल रखा जाता है । अपीलान्ट को यदि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजीनामे के आधार पर पारित डिक्री दिनांक 04.05.1976 से कोई अप्रसन्नता है तो उसके खिलाफ सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 15.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

15/5/19

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा